


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 25.6.19

संख्या-7/डी1-3010/96 सा0प्र0 8466 / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-48929 दिनांक 12.06.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री मदन किशोर कौशिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय को सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/डी1-3010/96 सा0प्र0 8466 / पटना-15, दिनांक 25.6.19

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।




सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/डी1-3010/96 सा0प्र0 8466 / पटना-15, दिनांक 25.6.19

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव/विशेष सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री मदन किशोर कौशिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित



सरकार के अवर सचिव।